

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र/ 19 /2018

बैंक ऑफ बडौदा शाखा नदबई जिला भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

- 1- मै0 बन्सी इंट उद्योग ग्राम भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर जरिये पार्टनर
- 2- श्री विक्रम सिंह पुत्र टुण्डराम निवासी ग्राम भदीरा तहसील नदबई
- 3- श्री सुरेश कुमार पुत्र नत्थी निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर
- 4-श्रीमती देवेन्द्री पत्नी रामवीर सिंह निवासी ग्राम भदीरा तहसील नदबई
- 5-श्रीमती मन्जू पत्नी विक्रम सिंह निवासी ग्राम भदीरा तहसील नदबई
- 6-श्री रामवीर सिंह पुत्र टुण्डीराम निवासी ग्राम भदीरा तहसील नदबई

.....ऋणी पार्टनर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन
ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

उपस्थित:-

श्री विमल सिंह अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 26.2.2018

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 23.7.2014 को प्रार्थी से 3400000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी श्रीमती देवेन्द्र पत्नी रामवीर सिंह व श्रीमती मन्जू पत्नी विक्रम सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति जो ग्राम भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है, जिसके हद्दअरबा निम्न प्रकार है : पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 1226 और 1227, पश्चिम में भूमि खसरा नं. 1221, उत्तर में रास्ता आम, दक्षिण में भूमि खसरा नं. 1224 व 1223 स्थित है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 30.09.2017 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 24-10-2017 तक 3566000/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 24-10-2017 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

(2)

बैंक आफ बडौदा बनाम मै. बन्सी ईंट उद्योग वगे.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस दिनांक 24-10-2017 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी श्रीमती देवेन्द्र पत्नी रामवीर सिंह व श्रीमती मन्जू पत्नी विक्रम सिंह की सम्पत्ति जो ग्राम भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है, जिसके हदद अरबा निम्न प्रकार है : पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 1226 और 1227, पश्चिम में भूमि खसरा नं. 1221, उत्तर में रास्ता आम, दक्षिण में भूमि खसरा नं. 1224 व 1223 है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर